

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या — 3/स्था०(1) 05/2018 —

/ पटना — 15, दिनांक —

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 19711, दिनांक 09.12.2024 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी, श्री अशोक कुमार सुमन को उनके द्वारा अवर सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उच्चतर पद का निम्नरूपेण परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र०	नाम	कार्यकारी पद का नाम	वेतन स्तर	प्रभार ग्रहण की तिथि	देय परिवहन भत्ता
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अशोक कुमार सुमन	अवर सचिव	11	09.12.2024 (अपराहन)	4000 + DA

- उपर्युक्त कार्यभारित पदाधिकारी को स्तंभ-6 में अंकित परिवहन भत्ता दिनांक- 10.12.2024 के प्रभाव से देय होगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव।

संख्या — 3/स्था०(1) 05/2018 —

/ पटना — 15, दिनांक —

प्रतिलिपि — महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव।

संख्या — 3/स्था०(1) 05/2018 —

193

/ पटना — 15, दिनांक — 16/01/25

प्रतिलिपि — प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/25
सरकार के अवर सचिव।